

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

कामो खातुन

बनाम

अल्लादिता वगै.

किस्म मुकदमा :-प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट
2019/00022

मु.नं. 37/19 एवं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
22.11.19	<p>पत्रावलो पेश हुयी वकाल प्रार्था उपस्थित अप्रार्था no १ व २ को रजिस्टर्ड ए डी नोटिस जरो हुए एक माह से अधिक समय होने पर भी हाजिर नहीं आये अप्रार्था no १ व २ को हाजिर होने के लिए खुले न्यायलय म आवाजे लगवाई गयी बार बार आवाज लगवाने पर भी हाजिर नहीं आने पर अप्रार्था no १ व २ के विरुध एक्स पार्टी आदेश किये जाते है अप्रार्था no ३ फॉर्मल पक्षकार है अतः वकाल प्रार्था को प्राथना व एक पक्षीय बहस सुनते हुए कोई विरोध नहीं होने के करण दिनाक ०३.१०.१९ को जारो एक पक्षीय स्थगन आदेश को स्थायी किया जाता है दिनाक ०३-१०-१९ को जारो अंतरिम अस्थायी व्यादेश मूल वाद के निणय तक स्थायी किया जाता है पत्रावलो फैशल शुमार होकर मूल वाद के साथ सलगन रहे</p>	